सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 785 राँची, मंगलवार, 2 कार्तिक, 1938 (श०)

24 अक्टूबर, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2017

संख्या- SUDA/AMRUT/BPA-WORK FLOW/40/2016-6579-- झारखण्ड राज्य में प्रभावी झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 एवं यथा संशोधित 2017 की कंडिका-14 की उपकंडिका-14.3 में Joint Inspection का प्रावधान किया गया है । इसके तहत विभिन्न विभागों/प्राधिकारों में भवन निर्माण हेतु Construction Permit की स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए Joint Inspection किए जाने का प्रावधान है ।

Joint Inspection का कार्य निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत कार्यान्वित होगी :-

1. Building Plan Approval Management System (BPAMS) के द्वारा ऑनलाईन आवेदन/ ऑनलाईन स्वीकृति देने का प्रावधान किया गया है । इसी प्रणाली में Fire Advisory/Fire NOC, Airport

Authority of India की NOC एवं National Monument Authority की NOC हेतु आवेदन एवं स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन किया गया है ।

2. Ease of Doing Business के अंतर्गत अन्य विभागों यथा- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, ऊर्जा विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इत्यादि के द्वारा दी जाने वाली स्वीकृतियों को भी Single Window के माध्यम से भी जोड़ा गया है ।

3. Joint Inspection प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं शुक्रवार को किया जाएगा । निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित Inspecting Officers को उपस्थिति अनिवार्य होगी, अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, जिसकी सूचना निकाय/प्राधिकार के अधिकृत पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी ।

4. सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को आवेदित आवेदन का Joint Inspection शुक्रवार को किया जाएगा। इसी प्रकार गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को आवेदित आवेदन का Joint Inspection अगले मंगलवार को किया जाएगा ।

5. सभी विभाग/निकाय/प्राधिकार के अधिकारी Inspection Report Format में दिए गए प्रावधानों के अनुसार Inspection करेंगे एवं संबंधित पोर्टल में 24 घंटे के अन्दर अपलोड करेंगे ।

6. उपरोक्त कार्य संपादन के क्रम में संबंधित निकाय/प्राधिकार के द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया के ससमय संपादन हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 785--200